

दृष्टिकोण

कला, मानविकी एवं वाणिज्य की मानक शोध पत्रिका

प्रधान संपादक

डॉ. अश्विनी महाजन

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

संपादक

डॉ. प्रमून दत्त सिंह

महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी

डॉ. फूल चन्द

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

दृष्टिकोण प्रकाशन

दृष्टिकोण

मुस्लिम लीग की राजनीति (1922-1935)–विपिन सहरावत	205
उत्तराखण्ड की मन्दिर स्थापत्य कला (कत्यूरी काल (700-1300 ई.) के विशेष सन्दर्भ में)–डॉ. प्रशान्त कुमार	208
ज्वालामुखी के प्रकार और वितरण–मुकेश कुमार	212
अर्वाधि लोकभाषा और लोकसंस्कृति : एक सिंघावलोकन–डॉ. शैलेश शुक्ला	217
'कोहरे' : टूटते-बनते प्रेम संबन्धों को यथार्थ–सोमवीर	221
माध्यमिक स्तर के छात्रों के तनाव स्तर पर योग अभ्यासों के प्रभाव का अध्ययन–तिलकराज गौड़; डॉ० कालन्दीलाल चंदानी	224
जल-जीवन-हरियाली का राजनीतिक निहितार्थ - बिहार के संदर्भ में संतुलित पर्यावरण के लिए एक अध्ययन–गरिमा	227
"कम आमदनी वाले महिलाओं का समय-प्रबंधन" पर एक विशेष अध्ययन–डॉ. कुमारी सुमन	230
आईसीटी के साथ लर्निंग की संस्कृति विकसित करना–आलोक तुली	232
जीएसटी अवलोकन - भारत में माल और सेवा: जीएसटी आईटीसी-समवेदना बिभूड़ी	237
शिक्षा के विकास पर समाजिक मूल्यों का प्रभाव: एक शैक्षिक अध्ययन–डॉ० ईश्वर चन्द्र त्रिपाठी; उमेश कुमार	242
शहरी किंवदंतियाँ; एक समगत अध्ययन–आर. के. अर्चना सदा सुमन दुदी; अमित कुमार; डॉ० रविन्द्रनाथ शर्मा	246
जनसंचार माध्यम : महत्वहीनता का महत्वपूर्ण उत्सव–डॉ. मनीष कुमार मिश्रा; डॉ. उषा आलोक दुबे	249
सामाजिक यथार्थ का दस्तावेज : किस्सा लोकतंत्र–मिथिलेश कुमार मिश्र	253
क्षेत्रीय विकास नियोजन और सेवा केन्द्रों के संदर्भ में बस्तर संभाग के खनिज संसाधनों का उपयोग–जितेन्द्र कुमार बेदी; डॉ० काजल मोइत्रा	255
धमतरी जिले में गोंड जनजाति का आहार उपभोग प्रतिरूप का अध्ययन–डॉ० काजल मोइत्रा; श्रीमती मंजूषा साहू	259
भूमंडलीकरण और संस्कृति या संस्कृति का बाजार–डॉ. धनंजय कुमार दुबे	267
प्राचीन भारत में दास-प्रथा का उद्भव व विकास–अंजू मलिक	273
साहित्य और नाटक का संबंध–डॉ. विकास कुमार; डॉ. मनोज कुमार	276
'मानवाधिकार' वैश्विक चेतना के रूप में विकास–डॉ० सरिता कुमारी	280
सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य मुक्त बाजार व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन–आलोक कुमार	284
गुरु नानक देव का सामाजिक चिन्तन : एक दार्शनिक विश्लेषण–डॉ० श्याम सुन्दर सिंह	288
गौधीवादी विचारधारा पर आधारित दबाव समूह–अदिला रहमान	291
राष्ट्रवाद का परिवर्तित स्वरूप एक विश्लेषणात्मक अध्ययन–सोनु कुमार	293
यात्रा साहित्य में हिमाचल : संदर्भ और प्रवृत्ति–डॉ० सुनीता शर्मा; श्वेता शर्मा	296
साठोत्तरी उपन्यासों की बदलते परिवेश–प्रो. रमेश के. पर्वती	301
छत्तीसगढ़ के नवगीतकारों के नवगीतों में सामाजिक समस्याएँ–डॉ. स्वामीराम बंजारे; शैलेन्द्र कुमार साहू	304
कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथाओं में स्त्री विमर्श : एक अनुशीलन–डॉ० अखिलेश कुमार वर्मा	308
धर्मवीर भारती कृत उपन्यास 'गुनाहों का देवता' एवं 'सूरज का सातवां घोड़ा' : एक अनुशीलन–डॉ० शिवा श्रीवास्तव	312
जयपुर जिले में रोजगार की स्थिति का तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन–अभयवीर सिंह चौधरी	315
अलवर नगरीय क्षेत्र में पेयजलाप्लुत का भौगोलिक अध्ययन–डॉ० रितेश कुमार अग्रवाल	322
भारत में वायु प्रदूषण की समस्या एवं प्रभाव का भौगोलिक अध्ययन–सुनील कुमार गुप्ता	329
विदेशियों यात्रियों की दृष्टि में श्रीलंका–डॉ० अशोक कुमार सोनकर	335
भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का विकास एवं प्रभाव–संजय हिरवे	348

भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा का विकास एवं प्रभाव

संजय हिरवे

शोध छात्र, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

सारांश

भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विकास ने शिक्षा के स्तर को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली अर्थात् मौखिक शिक्षा प्रणाली से होते हुए मध्यकालीन शिक्षा के संक्रमण काल तक एवं मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली से होते हुए वर्तमान भारत की शिक्षा व्यवस्था तक आने के लिए हमें इतिहास में एक लंबा सफर तय करना पड़ा है। समय के साथ-साथ इस प्रणाली में अनेकों बदलाव आते रहे, जिन पर चलकर प्राचीन कालीन शिक्षा को आज एक नवीन विश्वविद्यालयीन स्वरूप प्राप्त हुआ। इस स्वरूप को बनाए रखने हेतु भारत सरकार समय-समय पर अनेकों नीतियों का क्रियान्वयन करती है, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास को ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण माहौल भी तैयार किया जाता है। इस शोध पत्र के माध्यम से भारत में विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विकास के क्रम को बताने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही इस शोध पत्र में विश्वविद्यालयीन शिक्षा से होने वाले सामाजिक प्रभावों को भी उल्लेखित किया गया है।

प्राचीन काल में भारत को विश्वगुरु का दर्जा प्राप्त था। यह महज एक संयोग नहीं था, इसके पीछे भारतीय शिक्षा के इतिहास का एक लंबा सफर रहा है। जिसने समय-समय पर अनेक नवीन रूप धारण कर भारतीय जनमानस को उन्नत करने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। वास्तव में भारतीय विश्वविद्यालयीन शिक्षा के विकास को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में झांकना होगा -

प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था

प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली तत्कालीन समय में विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण प्रणाली में से एक थी। भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया जाता था। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभिक स्वरूप हमें वैदिक काल से दिखाई पड़ता है। वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था का मौखिक रूप उजागर हुआ, जिसमें गुरु अपने शिष्यों को आश्रम में मौखिक रूप से ज्ञान प्रदान करते थे। वैदिक कालीन ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में दर्शन तथा अध्यात्म के साथ साथ जीवन जीने की कला भी विद्यार्थियों को सिखाई जाती थी। सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़ाव भी शिक्षा का अभिन्न अंग होता था। वैदिक ग्रंथों के अध्ययन से हमें आश्रम व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। वृहदारण्यक उपनिषद् में हमें पहली बार 3 आश्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जबकि जबाल उपनिषद् में हमें चारों आश्रमों की जानकारी प्राप्त होती है। इन आश्रमों में से ब्रह्मचर्य आश्रम को विद्यार्थी जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसे देखकर लगता है कि यकीन शिक्षा व्यवस्था अपने उत्तम स्वरूप में रही होगी। प्राचीन काल में संपूर्ण मानव जीवन की अवधि 100 वर्ष मानी गई थी, जिसको चार भागों या चार आश्रमों में निम्न प्रकार से विभाजित किया गया था-

1. ब्रह्मचर्य आश्रम-प्रथम 25 वर्षों को विद्यार्थी के ब्रह्मचर्य जीवन के लिए निर्धारित किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा व्यक्ति के जीवन में सुशिक्षा एवं सद्गुणों का निर्माण किया जाता था। इसके माध्यम से उसे आगे आने वाले गृहस्थ आश्रम के लिए भी तैयार किया जाता था।
2. गृहस्थ आश्रम- 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु तक पारिवारिक जीवन जीने के लिए निर्धारित। धर्म शास्त्रों के अनुसार सभी आश्रमों के लोगों का भार इसी गृहस्थ आश्रम पर आधारित था।
3. वानप्रस्थ आश्रम- 50 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक आंशिक त्याग एवं भौतिक संबंधों से दूरी के लिए निर्धारित।
4. सन्यास आश्रम- 75 वर्ष की आयु लेकर 100 वर्ष तक सांसारिक संबंधों से पूर्णतः मुक्ति के लिए निर्धारित किया गया था।

उपर्युक्त व्यवस्था के आधार पर व्यक्ति के प्रारंभिक 25 वर्षों को शिक्षा प्राप्ति के लिए निर्धारित किया गया था। यह प्रतीत होता है कि प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था अपने प्रारंभिक चरण से ही मजबूती की तरफ अग्रसर थी। समय के साथ-साथ शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले और आगे चलकर इन्हीं बदलावों पर विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय एवं वर्तमान भारत के प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ।

तक्षशिला विश्वविद्यालय अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में स्थित था एवं नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार प्रांत में स्थित है। इन विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि तत्कालीन समय में भारतीय शिक्षा ने विश्व में अपना वर्चस्व बना लिया था।

तक्षशिला

वैदिक काल की अंतिम शताब्दियों में बना तक्षशिला विश्वविद्यालय शस्त्र विद्या एवं राजनीति का प्रमुख केंद्र रहा। जहां दूर-दूर से अनेकों विद्यार्थी एवं राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यह भारत के गांधार प्रांत की राजधानी तक्षशिला में स्थित था। चाणक्य भी यहां के प्रमुख आचार्य रह चुके हैं। एक

मत के अनुसार अष्टाध्याई के रचयिता पाणिनि ने भी यहीं से शिक्षा ग्रहण की थी। प्रमुख विद्याओं में आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन-शास्त्र, संगीत, गणित एवं चित्रकला शामिल थे। अलग-अलग गुरुकुलों के माध्यम से यहां अलग-अलग विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

नालंदा

वर्तमान बिहार राज्य में स्थित यह विश्व विश्वविद्यालय प्राचीन काल में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त-प्रथम को प्राप्त है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि यहां विश्व भर से अनेकों विद्यार्थी विद्या ग्रहण करने आते थे। वह स्वयं भी यहां का विद्यार्थी रहा था। वास्तव में यह विश्वविद्यालय विश्व का सर्वप्रथम आवासीय विश्वविद्यालय माना गया है, जहां तकरीबन 10000 विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। यहां चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, जापान आदि देशों से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु तत्कालीन समय में भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता था। यहां शल्य-विद्या, दर्शन, योग, शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र एवं व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। यहां एक विशाल पुस्तकालय था, जिसके प्रमुख ध्वन रत्न रंजन, रत्नोदधि एवं रत्न सागर थे।

उपर्युक्त विश्वविद्यालयों का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था विश्व में अद्वितीय थी। तक्षशिला, नालंदा के अतिरिक्त यहां विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदतीपुर विश्वविद्यालय, वल्लभी आदि प्रमुख शिक्षा के केंद्र थे। किंतु मध्यकालीन संक्रमण के काल ने शिक्षा के स्वरूप को बदला एवं प्राचीन शिक्षा का गौरव कहलाने वाला भारत इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया।

मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था

मुस्लिम आक्रांताओं के साथ ही भारत में एक नई संस्कृति का आगमन हुआ। साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूर्णतः परिवर्तित कर उसे इस्लामिक शिक्षा में तब्दील कर दिया गया। फारसी भाषा का विकास हुआ एवं अपनी संस्कृति एवं सभ्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुस्लिम शासकों ने इस्लामिक शिक्षा हेतु मदरसे एवं मकतब स्थापित किए जहां धार्मिक शिक्षा दी जाती थी।

मध्यकाल में मदरसे उच्च शिक्षा का केंद्र समझे जाते थे, जहां मुख्यतः धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। भारत में अरबी, फारसी, तुर्की आदि शासकों का राज रहा, अतः हर शासक ने अपनी परंपराएं तथा नियम-कानून जन सामान्य हेतु लागू करवाए। देखते ही देखते भारतीय शिक्षा प्रणाली ने एक नवीन रूप धारण कर लिया।

मुगल-काल के दौरान भी शिक्षा हेतु कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी और ना ही शिक्षा हेतु कोई पश्चक विभाग था। प्रायः मुगल बादशाह शिक्षित थे, अतः उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अम्बाला, लाहौर, कश्मीर, ग्वालियर, जौनपुर आदि जगह मुस्लिम शिक्षा के केंद्र स्थापित किए। मदरसों एवं मकतबों में फारसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। विद्यार्थियों को तीन प्रकार की उपाधियां दी जाती थी-

1. तर्क और दर्शन वाले विद्यार्थियों को-फाजिल
2. धार्मिक शिक्षा वाले विद्यार्थियों को-आलिम
3. साहित्य के विद्यार्थियों को-काबिल

इस समय हिंदुओं की शिक्षा के लिए विद्यापीठ एवं पाठशालाएँ होती थी। मुस्लिम शिक्षा की अपेक्षा यहां धार्मिक शिक्षा का अभाव था। हिन्दू शिक्षा के प्रमुख केंद्र- मथुरा, बनारस, अयोध्या, इलाहाबाद आदि थे।

मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में बदलाव महान सम्राट अकबर के समय से देखने को मिला। इस समय अनेकों ऐसे कार्य किए गए जो शिक्षा व्यवस्था की उन्नति से संबंधित थे। अनेकों विद्वानों को दरबार में आश्रय दिया गया। अकबर का काल हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा गया है। अकबर स्वयं शिक्षित नहीं था, मगर उसने एक 'अनुवाद-विभाग' की स्थापना कराई, जिसके अंतर्गत अनेकों किताबों एवं ग्रंथों का अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद कराया गया।

इन सब के उपरान्त भी मुगल कालीन शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में कुछ इतिहासकारों ने माना कि औरंगजेब ने साहित्य पर कठोर पाबंदियां लगाई थी, किंतु फिर भी संगीत पर सबसे अधिक किताबें औरंगजेब के समय से ही प्राप्त हुई हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की उन्नति को भी दर्शाता है। इसी काल में ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन हुआ। वास्तव में इनके आगमन के साथ ही मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था ने आधुनिक स्वरूप लेना प्रारंभ कर दिया था।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था

भारत में आधुनिक शिक्षा के स्वरूप को ईसाई धर्म प्रचारकों ने प्रारंभ किया। अनेकों छोटे-छोटे विद्यालय बनाए गए एवं शिक्षण कार्य को प्रारंभ किया गया। वर्ष 1780 में एक विशेष उद्देश्य के साथ शिक्षा की दिशा में कार्य करते हुए लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया। वारेन हेस्टिंग्स ने प्राचीन विद्याओं और साहित्य को संरक्षण भी दिया। वह अरबी और फारसी जानता था साथ ही वह बांग्ला भाषा भी बोल सकता था। उसने चार्ल्स विलकिंस के गीता अनुवाद की प्रस्तावना भी लिखी। वारेन हेस्टिंग्स ने उत्तर कालीन प्राच्य विद्या के अध्ययन को बढ़ावा भी दिया। वर्ष 1791 में लॉर्ड कार्नवालिस के समय सर जोनाथन डंकन द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन को बढ़ावा देकर प्रशासन में उनकी उपयोगिता शामिल की जाए। वर्ष 1813 में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए एक लाख रुपये निर्धारित किये, जिसे 1935 तक खर्च नहीं किया जा सका। धीरे-धीरे शिक्षा के विकास का कार्य आधुनिक रूप लेने लगा एवं वर्ष 1835 में लकड़ विलियम बेंटिक की घोषणा ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा व अन्य पश्चिमी विषयों की शिक्षा पर मुहर लगा दी। वर्ष 1835 में अपनाई गई नवीन शिक्षा प्रणाली की जांच हेतु वर्ष 1853 में बुड मसविदा तैयार हुआ, जिसने अपनी जांच रिपोर्ट वर्ष 1854 में प्रस्तुत की। इस बुड डिस्पैच ने आधुनिक भारतीय शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किए और इन आमूलचूल परिवर्तनों के कारण ही इसे 'भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मैग्नाकार्टा' भी कहा जाता है।

दृष्टिकोण

वुड आयोग की सिफारिस ने भारत में औद्योगिक विश्वविद्यालयों की मांग को तेज कर दिया। अनेकों नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिसके अंतर्गत वर्ष 1857 में बने कोलकाता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय एवं मद्रास विश्वविद्यालय प्रमुख थे, जो ब्रिटिश कंपनी के निम्न श्रेणी में कार्य करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर निर्मित किए गए थे। देखते-देखते अनेकों महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्थापित होने लगे। इनमें से प्रमुखतः फर्ग्युसन कॉलेज वर्ष 1870 में तथा सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में स्थापित हुआ।

आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली का वास्तविक खाका वर्ष 1902 में हुए गुप्त शिमला समझौते से हुआ। जिसमें लार्ड कर्जन ने शिक्षा से जुड़े 152 प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया। इसी के तहत उच्च शिक्षा में सुधार हेतु सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई, किंतु कोई भी भारतीय सदस्य आयोग में ना होने के कारण इसका विरोध हुआ और अंततः वर्ष 1904 में जाकर इस आयोग की सिफारिश पर विश्वविद्यालय कानून का निर्माण किया गया। नवीन कानून के बाद वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय-मदन मोहन मालवीय, ऐनी बेसेंट एवं सुंदरलाल की सहायता से स्थापित हुआ, वर्ष 1920 में बना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो प्रारंभ में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसे सर सैयद अहमद खां द्वारा स्थापित किया गया था तथा वर्ष 1920 में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्र नाथ टाकुर के प्रयासों से हुई।

आगे चलकर वर्ष 1925 में शिक्षा, संस्कृति, साहित्य एवं खेल आदि की जानकारी को साझा करने के उद्देश्य से एक 'अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड' का गठन किया गया जो बाद में 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' के नाम से जाना गया।

विश्वविद्यालयीन शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) का गठन

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान वर्ष 1944 में शिक्षा के विकास के लिए एक केंद्रीय सलाहकार बोर्ड तैयार किया गया, जिसे सार्जेंट रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। इस रिपोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रथम प्रयास किया गया। इसमें 'विश्वविद्यालय अनुदान समिति' के गठन को महत्व दिया गया, जिसके अंतर्गत अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय एवं दिल्ली के तीन केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज को शामिल किया गया। आगे चलकर इसी समिति को वर्ष 1947 में मौजूदा विश्वविद्यालयों के साथ कार्य-व्यवहार करने का उत्तरदायित्व भी सौंप दिया गया।

वर्ष 1948 में भारतीय विश्वविद्यालयीन शिक्षा पर रिपोर्ट तैयार करने एवं आगे की रूपरेखा के निर्धारण हेतु "डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन" की अध्यक्षता में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' की स्थापना की गई। आयोग ने अपनी सिफारिशों में कहा कि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का पुनर्गठन यू.के. के मकडल की तर्ज पर किया जाए। इस सुझाव पर वर्ष 1952 में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार तत्कालीन शिक्षा मंत्री, वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री एवं प्राकृतिक संसाधन मंत्री श्री अबुल कलाम आजाद ने 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। जिसे वर्ष 1956 में संसद में पारित एक विशेष अधिनियम के द्वारा सरकार के अधीन लाया गया और तभी से इसे स्थापित समझा गया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) की कार्यप्रणाली

वास्तव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) देश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण हेतु कार्यरत एक संस्थान है। इस कार्य को विधिवत रूप से पूर्ण करने के लिए यू.जी.सी. अपने क्षेत्रीय कार्यालयों का सहयोग लेती है, जो निम्न स्थानों पर हैं-पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एवं बंगलुरु।

उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त यू.जी.सी. समय-समय पर विभिन्न सर्वेक्षणों, आयोगों की रिपोर्ट्स एवं एनजीओ के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले नवीन बदलाव एवं उच्च शिक्षा प्रत्यायन के कार्य हेतु यूजीसी निम्न परिषदों की सहायता लेती है-

- AICTE- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्
- MCI- भारतीय चिकित्सा परिषद्
- ICAR- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
- CCIM-केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद्
- RCI- भारतीय पुनर्वास परिषद्
- NCTE- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्
- CCH- केंद्रीय होम्योपैथी परिषद्
- INC- भारतीय नर्सिंग परिषद्
- PCI- भारतीय फार्मसी परिषद्
- BCI- भारतीय बार परिषद्
- DCI- भारतीय दंत चिकित्सा परिषद्
- DEC- दूर शिक्षा परिषद्
- राष्ट्रीय ग्रामीण संस्था परिषद्
- उच्च शिक्षा राज्य परिषद्

किंतु नवीन शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से उपर्युक्त व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं। इस नीति के अनुसार अब भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों पर नियंत्रण रखने के लिए एक नवीन एकल नियामक आयोग गठित किया गया, जिसे 'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद्' के नाम से जाना जाएगा। इस नवीन

त्र में कानूनी शिक्षा तथा चिकित्सकीय शिक्षा को शामिल नहीं किया गया है।

'भारतीय उच्च शिक्षा परिषद' के अंतर्गत निम्न चार संस्थाएं अपना कार्य करेंगी-

1. सामान्य शिक्षा परिषद
2. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद
3. राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद
4. उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद

भारत की शिक्षा नीतियां एवं उनके उद्देश्य

मानव सभ्यता के इतिहास के आरंभिक दौर से ही शिक्षा मानव जाति विकास की एक अहम कड़ी मानी गई है। समय के साथ-साथ शिक्षा के स्वरूप में बदलाव उसके विकास की नितांत आवश्यकता है। इसी क्रम में आजादी के बाद भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में समान शिक्षा के विकास हेतु 24 जुलाई 1968 में भारत की प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई, जो कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। इस शिक्षा नीति के माध्यम से 10+2+3 पद्धति का विकास हुआ एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को भी विकसित किया गया। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर देते हुए यह भी निर्धारित किया गया कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को भी बनाए रखा जा सके।

इसके कुछ ही वर्षों पश्चात वर्ष 1977 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण हुआ, जिसे वर्ष 1979 में घोषित किया गया। मई 1986 में संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात यह शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की गई। शिक्षा नीति-1986 की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस शिक्षा नीति के साथ में इसे पूर्ण करने की योजना को भी प्रस्तुत किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में पनप रही असमानता को दूर करते हुए महिला शिक्षा को बढ़ावा देना एवं अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों हेतु समतुल्य शैक्षिक अवसर प्रदान करना था। 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक था। द्वितीय शिक्षा नीति में आई कमियों को दूर करने हेतु वर्ष 1992 में इस शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए गए थे।

वर्ष 2020 में भारत सरकार के द्वारा तृतीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। वास्तव में प्रौद्योगिकी और तकनीकी रूप से सक्षम विश्व के समक्ष भारतीय शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाए रखने हेतु यह सुधार आवश्यक था। वस्तुतः द्वितीय शिक्षा नीति कम्प्यूटर क्रांति के पहले ही तैयार कर ली गई थी। अतः यह तकनीकी रूप से वर्तमान शिक्षा के विकास के साथ न्याय नहीं कर पा रही थी। सतत विकास के सिद्धांत के अनुरूप यह शिक्षा नीति हमें ज्ञान-विज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उन्नत बनाने हेतु सक्षम है। नवीन शिक्षा नीति-2020 रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रभाव

आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत भारत में उच्च शिक्षा ने मानव जीवन के अनेकों क्षेत्र को प्रभावित किया है। मुख्यतः यह प्रभाव हमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तीनों रूपों में देखने को मिले हैं जो निम्न है-

- विश्वविद्यालयीन शिक्षा ने समाज में समानता का भाव जगा कर एक हद तक जातिवाद एवं लैंगिक असमानता को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- उच्च शिक्षा प्राप्त समाज की सोच में बदलाव आने से सामूहिक परिवार वाला ग्रामीण समाज अब शहरी एकल परिवार में बदलने लगा है।
- उच्च शिक्षित व्यक्ति हेतु रोजगार के अनेकों द्वार खुले हैं। वास्तव में शिक्षा शासकीय संस्थानों से लेकर निजी संस्थानों तक में रोजगार प्रदान करने के अनेकों अवसर प्रदान करती है। उच्च शिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कौशल के अनुसार अपने कार्य का चयन कर सकता है।
- विश्वविद्यालयीन शिक्षा ने भारत को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके माध्यम से भारत में रोजगारों में वृद्धि हुई एवं उद्योग-धंधों को शिक्षित व्यक्तियों की सहायता से तरक्की मिली। वास्तव में उच्च शिक्षा द्वारा विकसित सोचने एवं समझने का नवीन नजरिया ही आर्थिक रूप से भारत को विकास की ओर अग्रसर कर रहा है।
- विश्वविद्यालयों के अंतर्गत दी जाने वाली उच्च शिक्षा से विद्यार्थियों ने देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी अपना परचम लहराया है। आज आई आई टी, आई आई एम आदि संस्थानों से निकले विद्यार्थी विश्व की प्रतिष्ठित कंपनियों को विकास की एक नई राह दिखा रहे हैं।
- विश्वविद्यालयीन शिक्षा ने भारत की राजनीतिक व्यवस्था में भी अनेकों बदलाव किए हैं। उच्च शिक्षित राजनेता का सोचने एवं समझने का नजरिया अन्य से हटकर होता है। साथ ही विश्वविद्यालयीन स्तर पर होने वाले राजनीतिक चुनावों ने भी युवाओं का रुझान भी इस ओर आकर्षित किया है।

कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालयीन शिक्षा का विकास भारत में मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने भारतीय जनमानस के विचारों के द्वार को खोल दिया। इस आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने ना सिर्फ तार्किकता को बढ़ावा दिया अपितु रोजगार के कई आयामों को सृजित किया साथ ही साथ उच्च शिक्षा से साहित्यिक, तार्किक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी आदि क्षेत्रों में कई नए कीर्तिमान स्थापित हुए तथा आने वाले कई दूरगामी प्रभाव अभी बाकी है। आवश्यकता महज इस दिशा में पूर्ण जोश के साथ सकारात्मक कदम उठाने की है। अगर हम हमारी बुनियादी शिक्षा प्रणाली में समय-समय पर परिवर्तन करते हुए इसे उन्नत बनाते रहे तो वह दिन दूर नहीं होगा, जब भारत पुनः विश्वगुरु वाली छवि को प्राप्त कर लेगा।

संदर्भ

1. अग्रवाल जे. सी.-2006 'मॉडर्न इंडियन एजुकेशन', क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
2. अग्रवाल जे. सी.-2009 'डेवलपमेंट इन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया', क्षिप्रा पब्लिकेशन, दिल्ली।
3. भटनागर सुरेश-2017 'भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास', आर लाल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. चंद्र सतीश-2008 'मध्यकालीन भारत-राजनीति, समाज, और संस्कृति', ओरियंट ब्लैकस्वान पब्लिकेशन।
5. गुप्ता चौ. के.-2009 'यूजीसी 11औं प्लान', एम डी पब्लिकेशन प्रा. लि., नई दिल्ली।
6. गुप्ता ओमप्रकाश-1993 'हायर एजुकेशन इन इंडिया : सिंस इंडिपेंडेंस', कांसेप्ट पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
7. झा एंड श्रीमाली-2009 'प्राचीन भारत का इतिहास', हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
8. लाल एंड पेलोड-2007 'भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास और उसकी समस्याएं', बी लाल एजुकेशनल पब्लिशर्स, दिल्ली।
9. पाराशर मधु एंड सिंह दीपा-2015 'भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास', एस बी पी डी पब्लिकेशन, आगरा।
10. रजा मूनिस-1991 'हायर एजुकेशन इन इंडिया', एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन' दिल्ली।
11. शर्मा एल. पी.-2011 'मध्यकालीन भारत', लक्ष्मीनारायण अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
12. शर्मा एस. के.-2006 'आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा', डिस्कवरी पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
13. शर्मा पी. डी.-2016 'भारत में शिक्षा स्तर, समस्याएं एवं मुद्दे', श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा।
14. वर्मा हरिश्चंद्र-2009 'मध्यकालीन भारत', हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
15. ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1979, National Institute of Educational Planning and Administration: Draft National Policy on Education 1979, <http://14.139.60.153/handle/123456789/126>
16. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, https://www.google.com/url?sa=kt&source=web&rct=j&url=http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf&ved=2ahUKEwjeochHAz6_vAhXpIbcAHc2iC9AQFjASegQIHRAC&usg=AOvVaw0xizdcjVxfHRx6YYpJRs4L
17. ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Draft_NEP_2019_EN_Revised.pdf&ved=2ahUKEwjVuevH0K_vAhXr6XMBHSrAB3QQFjADegQIFhAC&usg=AOvVaw31qfISyJgpnVYNTTgw4q2-
18. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf&ved=2ahUKEwjmwb_x0K_vAhUT7HMBHYdxDB8QFjAgegQIMxAC&usg=AOvVaw2V0hw52WTOK6owxeeFXyay